सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1972 (चैत्र 12, 1894)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972 (CHAITRA 12, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4
शून्य —NIL—			

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	373
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	533
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	455
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3 उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	793
भाग II—खंड 3 उपखंड (ii)—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1161
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	109
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	451
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	107
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	29
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	931
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	67
पूरक संख्या 14—	
25 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	563
4 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ें	57

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	373
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	533
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	455
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	793
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1161
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	109
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	451
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	107
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	29
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	931
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	67
SUPPLEMENT No. 14—	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 25th March, 1972	563
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 4th March, 1972	57

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

औद्योगिक विकास मंत्रालय

सं० एस० एम० आई० (1)17 (3)/70—औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 25 अगस्त, 1970 के संकल्प सं० एम० एस० आई० (ए०) 17(3)/70 में जिसे इसी सं० की दिनांक 18 दिसम्बर 1970 की अधिसूचना द्वारा संशोधित करके लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, उसमे बोर्ड के सदस्यों की सूची में क्रम सं० 39 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

"श्री सरदारअजमद अली, सदस्य, लोकसभा, 7, इलेक्ट्रिकलेन, नई दिल्ली-1"	के स्थान पर	श्री शशि भूषण, सदस्य लोक सभा, 7, नोर्थ ऐवेन्यु, नई दिल्ली-1, पढ़ा जाये ।

ओ० आर० पदमनाभन, अवर सचिव

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1972

संकल्प

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग

सं० फा० 22-7/69-सी० ए० 1(2)—भारत सरकार ने सन् 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की एक ऐसे परामर्श-निकाय के रूप मे स्थापना की जिसके विचार का जनता आदर करे और जो जांच करके निम्नलिखित विषयों के संबंध में सरकार से अपनी सिफारिशे करे : (1) ऐतिहासिक अध्ययन के लिये पुरालेखों की व्यवस्था (2) सूची-पत्रों (कैटेलोगो) प्रलेख-क्रमों (कैलेंडरों) और प्रत्येक श्रेणी के प्रलेखों का मुद्रण करने का अनुमाप (पैमाना) और योजना (3) अभिलेखो मे अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उनके प्रकाशन-कार्य के लिये आवश्यक धनराशि (4) प्रलेखो के प्रकाशन के लिये सक्षम सम्पादकों को चुनना और (5) अभिलेखों तक जनता की पहुंच का प्रश्न (शिक्षा-विभाग-संकल्प सं० 77, 21 मार्च, 1919) । आयोग के कार्यकलाप मे इस देश की विभिन्न सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं विद्वत्-संस्थाओ का सक्रिय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के संकल्प सं० फा० 92-9/40-ई०, दिनांकित 16 सितम्बर, 1941 द्वारा आयोग के संविधान मे सुधार करने के लिये कदम उठाये और उसमे भारत की विभिन्न सरकारो, विश्वविद्यालयो और विद्वत् संस्थाओ के मनोनीत व्यक्ति सम्मिलित करने के उपबन्ध (प्राविजन) किये ।

2. अपने आरम्भ के समय से आयोग ने 41 अधिवेशन किये और पुरालेख के संरक्षण और उपयोग मे जनता की अभिरुचि बढ़ाने के कार्य मे महत्वपूर्ण अंशदान दिया । सरकार यह मानती है कि आयोग और उसकी विभिन्न समितियो के उपक्रमण से सूचना के अनेक नये स्रोत प्रकाश मे लाये गये और आने वाली सन्तति के लिये बचाये गये, अनेक प्रलेख-संग्रह प्रकाशित किये गये और विद्वानो को उपलब्ध कराये गये, अभिलेख-उपयोग की सुविधाये सारत : बढ़ाई गई और ऐतिहासिक साक्ष्य की पवित्रता के संबंध में जनता के मन में एक नई चेतना-ज्योति प्रज्वलित की गई है । यद्यपि सरकार आयोग की इन सब एवं अन्य उपलब्धियो को अत्यन्त प्रशसा के साथ ध्यानाकित किया है तथापि वह साथ साथ यह भी अनुभव करती है कि अभी बहुत कार्य करना बाकी है और अनेक समस्याए अभी सुलझाने के लिये खड़ी हैं । व्यापक वर्णनात्मक सूचिया तो दूर रही, अब तक अनेक ऐसे अभिलेख-संग्रह हैं जिनकी सदर्शिकाये (गाइड्स) अथवा तालिकाये (कीज़) नही हैं और बहुत कम सरकारी या निजी निक्षेपागार हैं जिन्होंने अभी प्रलेख-प्रकाशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम तैयार किया है । अधिकतर संग्रह अब तक भी अविकसित अवस्थाओं मे रक्षित किये जा रहे हैं और कीड़ों, फफूदों एवं अन्य विनाश-कर्ताओं के विध्वंसो के शिकार बन रहे हैं । शासनेतर अभिरक्षा मे विद्यमान अभिलेखो का, विशेषत: जिनका उद्भव संस्थागत, धार्मिक या वाणिज्यिक है, सर्वेक्षण, वर्णन, व्यवस्थापन अथवा उपयोग करने का बहुत थोडा पद्धतिबद्ध यत्न किया गया है । प्रशिक्षण-प्राप्त पुरालेखपालों की कमी के कारण देश के पुरालेखीय कार्य में अभी भी गम्भीर बाधा पड़ रही है । राष्ट्रीय अभिलेखागार मे उपलब्ध प्रशिक्षण-सुविधाओं ने संघृत-पुरालेखो के स्वामियो मे उनसे लाभ उठाने का पर्याप्त प्रोत्साह नही उत्पन्न किया । सरकार का विश्वास है कि राष्ट्र के विद्योचित जीवन मे ये बडी गंभीर कमियां हैं और कि एक ओर अभिलेख और ऐतिहासिक सामग्रियो के अभिरक्षको और दूसरी ओर उनके उपयोगकर्ताओं के बीच अधिकाधिक हार्दिक सहयोग ही ऐसे साधन हैं जिनसे ये कमियां दूर हो सकती हैं ।

3. इस प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये इस विषय पर शिक्षा-मंत्रालय के संकल्प संख्या फा० 6-25 63-ए०-10 (सी०-5), दिनाकित 20 नवम्बर, 1965 एवं उसके पहले के सभी अन्य संकल्पो का अधिलंघन करके भारत सरकार सहर्ष आयोग का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप मे करने की स्वीकृति देती है :

I. भविष्य मे आयोग मे निम्नलिखित होगे :

प्रधान

संस्कृति-विभाग के प्रभारी मंत्री, भारत सरकार, पदेन प्रधान। (मंत्री प्रधान के रूप में अपनी को एक शक्ति और कार्य अथवा सभी शक्तियां और कार्य एक राज्य-मंत्री को सौंप सकते है)।

(क) सदस्य

(1) सचिव, संस्कृति-विभाग, भारत सरकार।

(2) भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीस तक प्रमुख इतिहासकार अथवा अभिलेखागार। इनकी नियुक्ति पुरालेखा के विषय में इनके विशेष-ज्ञान के आधार पर अथवा भारतीय इतिहास के आधुनिक काल के संबंध में दिये गये इनके मौलिक अंशदान के आधार पर पर होगी।

(3) सुगठित अभिलेख-निक्षेपागारों वाले राज्य-सरकारो केन्द्रशासित प्रदेशों में से प्रत्येक का एक मनोनीत व्यक्ति जो सदैव राज्य केन्द्रशासित प्रदेश के पुरालेखागार का अभिरक्षक ही होगा।

(4) जिनके पुरालेख-विभाग नही है उन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रादेशिक अभिलेख-सर्वेक्षण-समिति का एक प्रतिनिधि।

(5) इतिहास का अपना संकाय/विभाग/केन्द्र रखने वाले प्रत्येक ऐसे भारतीय विश्वविद्यालय का एक मनोनीत व्यक्ति जो मूल-अभिलेखों में अनुसंधान करने, उन का प्रकाशन करने, अपने विश्वविद्यालय के पुरालेखागार को गठित करने और शासनेतर और अर्द्ध-शासकीय अभिरक्षा में विद्यमान अभिलेखों का सर्वेक्षण और समन्वेषण करने में आयोग के साथ सहयोग करे।

(6) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी विद्वत संस्थाओं, अनुसंधान-निकायों अथवा निक्षेपागारों में से प्रत्येक का एक मनोनीत व्यक्ति जिन (विद्वत्संस्थाओं अनुसंधान-निकायो अथवा निक्षेपागारों) की अपने पुरालेखीय निधि (होल्डिंग्ज) है, अथवा जो सक्रिय रूप से ऐसे अभिलेखों में मूल अनुसंधान करने में लगे हों, और जो शासनेतर और अर्द्ध-शासकीय अभिरक्षा में विद्यमान अभिलेखो का सर्वेक्षण और समन्वेषण करने में और आयोग द्वारा प्रतिपादित पुरालेखीय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आयोग के साथ सहयोग करे।

(7) अभिलेख-निदेशक, भारत सरकार, पदेन सचिव।

(ख) तत्संबद्ध सदस्य

इस संवर्ग के सदस्यों का चुनाव उन व्यक्तियों तक सीमित है जो भारत के बाहर रहते है और अभिलेखों में सक्रिय रूप से अभिरुचि रहते हैं। केवल पर्याप्त योग्यता की प्रकाशित कृति ही इस प्रकार की अभिरुचि का साक्ष्य मानी जायेगी। तत्संबद्ध सदस्य भारत सरकार द्वारा चुने और नियुक्त किये जायेगे।

भारत सरकार यह चाहती है कि राज्य-सरकारों के मनोनीत व्यक्ति पुरालेखागारों और पुरालेखों की प्रविधियों से पूर्णतया परिचित हों। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों, विद्वत् संस्थाओं और अन्य अनुसंधान-निकायों के मनोनीत व्यक्ति शैक्षणिक वरेण्यतायु हों तथा उनको पश्च् 1500 की अवधि के भारतीय इतिहास में पर्याप्त मूल-अनुसंधान-कार्य करने का श्रेय प्राप्त हो। इन सब निकायों के मनोनीत व्यक्ति परिभाषिक रूप से आयोग के सदस्य तब बनेंगे जब भारत सरकार औपचारिक रूप से इनके मनोनयन का अनुमोदन कर देगी।

पदेन सदस्यों को छोड़कर आयोग के सदस्य तथा तत्संबद्ध सदस्य निम्नलिखित रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जायेंगे।

(1) सब नियुक्तियां और पुनर्नियुक्तियां एक ही दिनांक से और एक ही साथ समूहशः पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये की जायेंगी, किंतु उनकी अवधि की समाप्ति पर सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

(2) पांच वर्षों की अवधि में त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से होने वाली रिक्ति पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिये नहीं प्रत्युत केवल अवधि के अनवसित भाग के लिये भरी जाएगी।

II. आयोग के कार्यकलाप का क्षेत्र निम्नलिखित तक सीमित रहेगा :—

(1) पुरालेखों और ऐतिहासिक प्रलेखों के अभिरक्षकों और उपयोगकर्त्ताओं के मध्य पुरालेखों के व्यवहार, परिरक्षण और उपयोग के संबंध में विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने की गोष्ठी के रूप में कार्य करना और इस संबंध में समुचित शासकीय और अशासकीय निकायों से सिफारिश करना।

(2) पुरालेखों तथा ऐतिहासिक अनुसंधान के संदर्भ में उठने वाली समस्याओं पर, विशेषत; जिन पर थोड़ा अथवा कोई कार्य नही किया गया है, विचार गोष्ठी के रूप में कार्य करना, संगोष्ठियां करना और आयोग की वार्षिक अथवा अन्य बैठकों में ऐसे विचार-विमर्शों को बढ़ावा देना और गूढ़वाचन-विज्ञान, मुद्रा-विज्ञान, पुरालिपि-विज्ञान, स्थान-नामाध्ययन-विज्ञान और वंशावली एवं कुलचिन्ह-अध्ययन विज्ञान जैसे पुरालेख-सहायक ज्ञान शाखाओं पर चर्चा को प्रोत्साहित करना।

(3) शासनेतर और अर्द्धशासकीय अभिरक्षा में विद्यमान सामग्रियों को (जिनमें संस्थागत, धार्मिक और व्यापारिक अभिलेख सम्मिलित है), विश्वविद्यालयों पुस्तकालयो, संग्रहालयों, विद्वत्संस्थाओं और विशेषतः प्रादेशिक अभिलेख-सर्वेक्षण-समितियों और इस प्रकार के स्थानीय निकायों के सहयोग से

नष्ट होने से बचाने और उनका उपयोग करने के कार्य को बढ़ावा देना, और इस क्षेत्र में किये गये कार्य की सूचना के लिये एक समाशोधन-गृह (क्लीयरिंग हाउस) का काम करना ।

(4) एक और अभिलेखों और ऐतिहासिक पांडुलिपियों के निक्षेपागारों और दूसरी और अनुसंधान में अभिरुचि रखने वाले निकायों के बीच सामान्यता मध्यस्थ का कार्य करना ।

(5) आयोग के कार्यकलाप और उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले अन्य विषयों पर प्रतिवेदनों और विवरणिकाओं को प्रकाशित करना ।

III. आयोग की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार होगी । बैठक का स्थान ऐसा स्थान चुना जाएगा जो पुरालेखीय सामग्री से समृद्ध हो । प्रत्येक अधिवेशन में निम्नलिखित बैठकें आदि होंगी :—

(1) एक सार्वजनिक बैठक, जिसमें देश में की गई पुरालेखीय प्रगति के विषय में सचिव का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और आयोग के सदस्यों द्वारा पुरालेखीय एवं अनुसंधान-कार्यकलाप अथवा अभिनव ज्ञात स्रोत-सामग्रियों के विषय में अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे ।

(2) सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट पुरालेख-अभिरक्षण और उपयोग संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिये और विभिन्न निकायों द्वारा आयोग के संरक्षण में लिये गये कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिये एक कार्यकारी बैठक ।

(3) अनुसंधान की अपेक्षा रखने वाली एक अथवा अधिक चुनी हुई ऐतिहासिक समस्याओं अथवा अन्य सहायक विषयों पर उपलब्ध श्रोत-सामग्रियों पर चर्चा-बैठकें अथवा संगोष्ठियां । ऐसी चर्चाओं के लिये आयोग द्वारा कम से कम एक वर्ष पूर्व विषय चुन लिए जाने चाहिये ताकि सदस्य उन विषयों पर अपने लेख समय से प्रस्तुत कर सकें ।

तत्संबद्ध सदस्यों को कार्यकारी बैठकों को छोड़कर आयोग की सब बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा । कार्यकारी बैठकों में वे केवल विशेष निमन्त्रण से उपस्थित हो सकेंगे ।

पदेन प्रधान आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । उनको यह अधिकार होगा कि अपनी अनुपस्थिति में वे एक वरिष्ठ सदस्य को प्रधान का कार्य करने के लिये नामित करें ।

IV. (1) स्थायी समिति

भारत सकार निम्नलिखित संरचना और कर्त्तव्यों की एक स्थायी समिति बनायगी :

संरचना

(क) सचिव, संस्कृति-विभाग ..... अध्यक्ष

(ख) भारत सरकार द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिये नामित, आयोग के पांच सदस्य । ये सदस्य पुनर्नामन के पात्र होंगे ।

(ग) अभिलेख-निदेशक भारत सरकार ..... पदेन सचिव ।

कर्त्तव्य

स्थायी समिति समय-समय पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर किये गये कार्यों का सिंहावलोकन करेगी, उसको भेजे गये सब प्रतिवेदनों और मदों पर विचार करेगी और आयोग की बैठक की कार्यावली पर अपने विचार प्रकट करेगी और अन्य ऐसे कार्य करेगी जो उसे भारत सरकार अथवा आयोग के प्रधान देंगे । सामान्यता उसकी वर्ष में दो बैठकें होंगी ।

(2) आयोग अनुसंधान की अपेक्षा रखने वाली विशिष्ट समस्याओं को निपटाने के लिये एक या अधिक समितिया नियुक्त कर सकता है । ऐसी समितियां अपने प्रतिवेदन आयोग को भेजेंगी ।

V. आयोग के पदेन प्रधान और सचिव और भारत सरकार के मनोनीत व्यक्तियों (उपरलिखित कडिका 3.1.क में निर्दिष्ट और स्थायी समिति के सस्दयों (उपरलिखित कंडिका 4 में निर्दिष्ट) के यात्रा-भत्ते केन्द्रीय आगम पर प्रभार होंगे । पदेन प्रधान और सचिव तथा अध्यक्ष और भारत सरकार के वे मनोनीत व्यक्ति (उपरलिखित कण्डिका 3.1.क और 4 में निर्दिष्ट) एवं समिति के वे सदस्य जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं आयोग और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये सरकारी कार्यपर्यटन पर होने के समान यात्रा-भत्ते प्राप्त करेंगे और यह अर्थ-व्यय उनके वेतन के शीर्षक के अधीन ही विकलनीय होंगे ।

भारत सरकार द्वारा सदस्यों के रूप में नियुक्त अशासकीय व्यक्ति (कण्डिका 3.1.क देखिये) और स्थायी समिति के अशासकीय व्यक्ति (कण्डिका 4 देखिये) एवं विद्वन्निकायों, अनुसंधान-संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य-सरकार (कण्डिका 3.1.क (6) देखिये) से आर्थिक सहायता नहीं मिलती, उन्हें आयोग अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रथम प्रक्रम (ग्रेड) के अधिकारियों के लिये ग्राह्य दर पर यात्रा-भत्ते और संबद्ध स्थानों की प्रथम प्रक्रम के केन्द्रीय अधिकारियों के लिये ग्राह्य सर्वोच्च दर का दैनिक भत्ता प्राप्त होगा । यह अर्थ-व्यय राष्ट्रीय अभिलेखागार के आय-व्ययक-अनुदान से किया जाएगा । जिन व्यक्तियों को सत्संबद्ध सदस्य नियुक्त किया जाएगा वे बैठकों में भाग लेने के लिये यात्रा का खर्च स्वयं उठायेंगे । राज्य-सरकारों, विश्व-विद्यालयों और दूसरी संघटक संस्थाओं को (जो उपरिलिखित अनुभाग 3.1.क (6) के सीमान्तर्गत नहीं आतीं) स्वयं अपने मनोनीत व्यक्तियों के यात्रा-भत्ते देने पड़ेंगे । भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की किसी भी समिति में कार्य करने के लिये नियुक्त (केन्द्रीय सरकार के मनोनीत व्यक्तियों से अन्य) अशासकीय सदस्यों के यात्रा-भत्ते तथा दैनिक-भत्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त (उपरिलिखित कण्डिका 3.1.क) अशासकीय सदस्यों के यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ता के समान होंगे ।

संकल्प

आदिष्ट है कि यह संकल्प सब राज्य-सरकारों, सब केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों, मंत्रिमंडल-सचिवालय, प्रधानमंत्री-सचिवालय, संसदीय-कार्य-विभाग, सर्वोच्च-न्यायालय, संसद्-सचिवालय, योजना-आयोग, सब विश्वविद्यालयों अभिलेख-निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, और सचिव, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग को भेज दिया जाए ।

यह भी आदिष्ट है कि यह संकल्प भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० सोमशेखरन, उप सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1972

संकल्प

सं० एफ० सी० 502 (37)/68—ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 के संकल्प सं० डी० डबलू०-पांच-502(37)/68 के, जिसमें बाढ़ में इस मंत्रालय के दिनांक 28 नवम्बर, 1970 के संकल्प सं० डी० डबलू०-पांच 502(37)/68 के अनुसार संशोधन किया गया है, पैरा 1 में क्रम सं० 12 के सामने वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाये—

"12. मुख्य आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश सदस्य"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति असम राज्य सरकार/भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों/प्रधानमंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी सचिव/भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए ।

यह आदेश दिया जाता कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और असम राज्य सरकार से इसे राज्य के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित करने के लिये अनुरोध किया जाए ।

बी० एम० बंसल संयुक्त, सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 8th March 1972

No. SSI(1)-17(3)/70.—In the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Resolution No. SSI(A)-17(3)/70, dated the 25th August, 1970, as amended in Notification of same number, dated the 18th December, 1970, under which the Small Scale Industries Board was re-constituted, the following amendment may be made in the list of Members of the Board against Sl. No. 39 :—

For "Shri Sardar Amjad Ali, Member, Lok Sabha, 7, Electric Lane, New Delhi-1".

Read "Shri Shashi Bhushan, Member, Lok Sabha, 7, North Avenue, New Delhi-1."

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

(Department of Culture)

New Delhi, the 10th March 1972

RESOLUTION

(Indian Historical Records Commission)

No. F. 22-7/69-CAI(2).—The Indian Historical Records Commission was set up by the Government of India in 1919 as a consulting body, whose opinion would carry weight with the public and which would make enquiries and recommendations regarding (i) treatment of archives for historical study, (ii) the scale and plan on which the cataloguing, the calendaring and reprinting of each class of documents should be undertaken, (iii) the sums required for encouraging research among, and publication of, records, (iv) selection of competent editors for the publishing of documents, and (v) the problem of public access to records (Department of Education Resolution No. 77, 21 March 1919). With a view to promoting active cooperation of the diffferent Governments in India as also the universities and learned institutions in the country in the activities of the Commission, the Government of India by their Department of Education, Health and Lands Resolution No. F. 92-9/40-E, dated 16th September 1941, took steps to reform the constitution of the Commission providing for the inclusion in it of nominees of the various Governments in India as also those of the universities and learned societies.

2. The Commission has since its inception held 41 sessions and has contributed significantly to the growth of public interest in the conservation and use of archives. Government recognise that it was through the initiative of the Commission and its different Committees that many new sources of information have been brought to light and saved to posterity, many collections of documents have been published and made accessible to scholars, facilities for the use of records have been materially enhanced and a new conscience has been kindled in the public mind in respect to the sanctity of historical evidence. While Government have noted with very deep appreciation these and other achievements of the Commission, they feel at the same time that much work still remains to be done and that a host of important problems are still awaiting to be attacked. Many record-collections are still without any guides or keys, let alone comprehensive descriptive lists, and very few repositories, public or private, have yet developed a well-articulated programme of document-publication. Most of the collections still continue to be housed in primitive conditions and to be subjected to the ravages of insect pests, molds and other destructive agents. Very little systematic effort has been made to survey, describe, organise or make use of records in private custody, and particularly, those of institutional, religious or commercial provenance. Lack of trained archivists continues seriously to impede the archival work in the country and the training facilities available in the National Archives have hardly stimulated an adequate response among the owners of archival holdings. Government believe that these constitute very serious lacunae in the academic life of the nation and that greater and more whole-hearted cooperation between Keepers of records and historical materials on the one hand and their users on the other are the only means by which these dificiencies could be removed.

3. In order to promote such cooperation the Government of India, in supersession of the Ministry of Education Resolution No. F. 6-25/63-A.10(C.5), dated 20th November 1965 and all earlier Resolutions on the same subject, are pleased to sanction a reconstitution of the Commission on the following lines :

I. The Commission shall in future consist of the following :

President

Minister in charge of the Departments of Culture, Government of India—*Ex-officio* President.

(The Minister may delegate any or all of his powers and functions as President to a Minister of State).

Members

(1) Secretary, Department of Culture, Government of India.

(2) Upto twenty eminent historians or archivists appointed by the Government of India on the basis of their specialised knowledge of the treatment of archives or

their original contution to the modern period of Indian history.

(3) One nominee each of the State Governments/Union Territories having a organised record repository of its own, the nomie being invariably the custodian of Archives of the State/Union Territory.

(4) One representative of Regional Records Survey Committee from Stas/Union Territories having no Archives Department.

(5) One nominee eaa from every such University in India having a faculty/Department/Centre of history of its own as my encourage research among, and publication of, original records and cooperate with the Commission in organising its own archives and in conducting survey and exploration of records in private and semi-public custody.

(6) One nominee each from such learned institutions, research bodies, or repositories approved by the Government of India as may have archival holdings of their own, or may be actively engaged in original research among such records, and may cooperate with the Commission in conducting survey and exploration of records in private and semi-public custody and in promoting archival programmes sponsored by the Commission.

(7) The Director of Archives, Government of India—*Ex-Officio* Secretary.

B. *Corresponding Members*

The selection of Members in this category will be confined to persons residing outside India and actively interested in Records, only published work of sufficient merit being accepted as evidence of such interest. The Corresponding Members are to be selected and appointed by the Government of India.

The Government of India desire that nominees of the State Governments should be persons thoroughly conversant with archives and archival techniques and that the nominees of universities, learned institutions and other research bodies should be men of academic distinction with considerable amount of original research work on the history of India of the post-1500 period to their credit. The nominees of all these bodies will technically become members of the Commission after their nomination has been formally approved by the Government of India.

The Members of the Commission, other than *ex-officio* Members, and also all Corresponding Members of the Commission, will be appointed for a term of five years as follows :—

(1) All appointments and re-appointments for a full term of five years will be made *en-bloc* with effect from the same date, but on the expiry of their terms, the members concerned will be eligible for reappointment.

(2) Vacancy due to resignation or otherwise which may occur within the period of five years will not be filled for a full term of five years but only for the unexpired portion of the term.

II. The scope of the Commission's activities shall be limited to the following :

(1) To act as a forum for exchange, between custodians and users of archives and historical documents, of ideas and experiences relating to treatment, preservation and use of archives and to make recommendations to appropriate bodies, official or non-official, in this behalf.

(2) To act as a forum for discussion on archives in relation to historical problems requiring investigation, particularly in relation to those on which little or no work has been done, and to hold seminars promoting such discussions at its annual or other meetings; and to promote discussions on disciplines ancillary to archives, such as Diplomatic Sigillography, Paleography, Toponymy and Heraldry.

(3) To promote the salvaging and use of materials in private and semi-public custody (including institutional, religious, and business records) in collaboration with universities, libraries, museums, learned societies and particularly, with the Regional Records Survey Committees and similar local bodies; and to act as a clearing house of information on the work done in this field.

(4) To act generally as an intermediary between record and historical manuscript repositories on the one hand and bodies interested in research on the other.

(5) To publish proceedings and bulletins embodying reports on its activities and on other matters promoting its objective.

III. The Commission shall normally meet once a year, a place rich in archival materials being selected as the venue. Each session should include :

(1) A public meeting devoted to the report presented by the Secretary on the archival progress in the country, and other reports that may be submitted by members to the Commission on archival and research activities or newly discovered source materials.

(2) A business meeting for the discussion of problems relating to keeping and use of archives, that may be referred to it by members and for review of programmes undertaken by different bodies under its auspices.

(3) Discussion meetings or seminars held on source materials on one or more selected historical problems requiring investigation or any other ancillary matters. Topics for such discussions should be selected by the Commission at least one year in advance to enable the members to present papers on them in time.

Corresponding members will be entitled to participate in all the meetings of the Commission except its business meetings. They may attend the business meetings only by special invitation.

The Commission's meetings are to be presided over by the *Ex-Officio* President. He shall however have the right to nominate a senior member to act as President in his absence.

IV. (1) *Standing Committee*

The Government of India shall set up a Standing Committee with the following composition and functions :

Composition

(a) Secretary, Department of Culture—*Ex-officio Chairman.*

(b) Five members of the Commission nominated by the Government of India, for a term of two years. The members shall be eligible for renomination.

(c) Director of the National Archives of India—*Ex-officio Secretary.*

Functions

The Standing Committee will review the action taken from time to time on the recommendations made by the Indian Historical Records Commission, consider all reports and items referred to it and express its views on the agenda for the Commission's meeting, and perform such other functions as the Government of India or the President of the Commission may assign to it. It will ordinarily meet twice a year.

(2) The Commission may appoint one or more Committees to deal with particular problems requiring investigation. Such Committees shall submit their reports to the Commission.

V. The travelling allowances of the *ex-officio* President and Secretary of the Commission and the nominees of the Government of India (referred to in para 3.I.A above) as well as the members of the Standing Committee (referred to in para IV above) will be a charge on the Central Revenues. The *ex-officio* President and Secretary as well as the Chairman, and such nominees of the Government of India (referred to in para 3.I.A. and IV above) and such Committee members as are Government servants will draw travelling allowances as

on tour for attending the meetings of the Commission, or its Committees, and the expenditure will be debitable to the same head as their pay.

Non-officials appointed by the Government of India as Members (see para. 3 I.A) and non-official members of the Standing Committee (see para IV) and representatives of learned bodies/research institutions etc. which are not in receipt of financial assistance either from the Central Government/State Government see para [3.I.A(6)] will draw travelling allowances for attending meetings of the Commission or its Committees at rates admissible to Grade I Officers of the Central Government and daily allowance at the highest rate admissible to Grade I Officers of the Central Government for respective localities. The expenditure will be met from the budget grant of the National Archives of India. Persons appointed as Corresponding Members will bear their own expenditure on travelling expenses etc. for attending the meetings. The State Governments, the universities, and other constituent institutions (not coming within the purview of section 3.I.A(6) above will be required to bear the travelling allowances of their nominees. The travelling allowances and daily allowances for non-official members other than Central Government's nominees who may be appointed to serve on any Committee of the Indian Historical Records Commission will be paid at the same rate as those of non-official members appointed by the Central Government as Members (Para 3.I.A above).

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all the State Governments; all Administrations of Union Territories; all the Ministries of the Government of India; Cabinet Secretariat; Prime Minister's Secretariat; Department of Parliamentary Affairs; Supreme Court; Parliament Secretariat; Planning Commission; all Universities; Director of Archives, National Archives of India; Secretary Indian Historical Records Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. SOMASEKHARAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 9th March 1972

RESOLUTION

*No. F.C.*502(37)/68.—In para. 1 of this Ministry's Resolution No. DW.V502(37)/68, dated the 21st September, 1970, constituting the Brahmaputra Flood Control Board as subsequently amended *vide* this Ministry's Resolution No. DW.V.-502(37)/68, dated the 28th November, 1970, the following may be substituted for the existing entry against S. No. 12 :—

"12. Chief Commissioner, Arunachal Pradesh—*Member*".

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Government of Assam/concerned Ministries of Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private & Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government of Assam be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972